

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
राजभाषा विभाग

....

3 DEC 2008

लोकनायक भवन, खान मार्किट  
नई दिल्ली 110003  
दिनांक 28 नवम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निकायों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर्स/डाटा एंट्री आपरेटर्स/डाक सहायकों/कार्यालय सहायकों/दूर संचार सहायकों/कर सहायकों आदि के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टाइपलेखन/ शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना ।

इस विभाग के दिनांक 10.08.1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12011/4/74-हिंदी-2/रा.भा.(डी) तथा दिनांक 10.01.1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12016/2/78-रा.भा.(डी), के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और हिंदी अनुवादकों को जिनके लिए हिंदी टाइपलेखन का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपिंग कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर भर्ती किया जा सकता है और स्थान रिक्त होने पर उन्हें कक्षाओं में दाखिला दिया जा सकता है, और सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और हिंदी अनुवादकों को हिंदी टाइपिंग परीक्षा पास करने पर अवर श्रेणी लिपिकों की भांति विभिन्न सुविधाएं और प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे । इसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि "सहायकों" और "उच्च श्रेणी लिपिकों" के पदों में ग्रुप 'ग' के वे सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे जो दूसरे कार्यालयों में उनसे मिलता जुलता कार्य करते हों, न कि पर्यवेक्षण कार्य और जिनके भिन्न पदनाम हैं, जैसे- लेखा परीक्षा विभाग में प्रवर लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक आदि ।

2. केंद्र सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों एवं अन्य नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत्तशासी निकायों आदि में पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर कंप्यूटराइजेशन हुआ है और अब अधिकांश शासकीय कार्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। कंप्यूटराइजेशन के बाद कार्य एवं प्रकृति में आए आमूल-चूल परिवर्तन के फलस्वरूप केंद्र सरकार के कई विभागों/कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में अवर श्रेणी लिपिक और इसके समतुल्य पदों को अपग्रेड कर अथवा उनकी स्थिति को बदले बिना, पदनाम में परिवर्तन किया गया है जैसे-

- i डाक विभाग में डाक सहायक एवं कार्यालय सहायक आदि !
- ii रेल डाक सेवा में छंटाई सहायक/कार्यालय सहायक आदि !
- iii दूर संचार विभाग में दूर संचार सहायक आदि !
- iv आयकर तथा करस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायक आदि एवं
- v विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स/डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, आदि ।

जासी..2/-

3. विभिन्न मंत्रालयों एवं कार्यालयों द्वारा उपर्युक्त संदर्भ में बार-बार यह स्पष्टीकरण मांगा जाता रहा है कि जिन पदों को अपग्रेड कर अथवा उनकी स्थिति को बदले बिना पदनाम में परिवर्तन किया गया है, उन पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टाइपलेखन/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, अथवा नहीं? यह भी स्पष्टीकरण मांगा जाता रहा है कि इन कर्मचारियों के लिए यदि हिंदी टाइपलेखन/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य है तो क्या प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा पास करने पर ये कर्मचारी भी विभिन्न सुविधाएं और वित्तीय प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार हैं अथवा नहीं ?


4. कंप्यूटर पर हिंदी में शब्द संसाधन की आवश्यकता एवं मांग को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान करना शासकीय कार्यों के निष्पादन में उपयोगी होगा, अतः ग्रुप 'ग' के निम्नलिखित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टाइपलेखन/हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा:-

- (क) डाक विभाग में डाक सहायक एवं कार्यालय सहायक आदि !
- (ख) रेल डाक सेवा में छंटाई सहायक/कार्यालय सहायक आदि !
- (ग) दूरसंचार विभाग में दूर संचार सहायक आदि !
- (घ) आयकर तथा कस्टम एवं एक्ससाइज विभाग में कर सहायक आदि तथा
- (ङ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटाएंट्री ऑपरेटर !

5. इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी तरह /इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी टाइपलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये कर्मचारी भी इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों में निहित प्रावधानों और शर्तों के अधीन सभी वित्तीय लाभ पाने के हकदार होंगे जैसे-वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार तथा एकमुश्त पुरस्कार आदि।

6. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

7. यह कार्यालय ज्ञापन एकीकृत वित्त प्रभाग की दिनांक 28.08.2008 की टिप्पणी सं.1530/AS&FA[H] पर प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है ।

  
(विजय कुमार गुप्ता)  
अवर सचिव(प्रशिक्षण)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

